स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण

स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अन्य विस्तृत जानकारियों के लिए जिला कार्यालय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गुना से संपर्क करें।

मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी,

जिला– गुना, दूरभाष– (07542)252746

स्वास्थ्य विभाग, जिला–गुना

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	पात्र हितग्राही	दिया जाने वाला लाभ	किससे संपर्क करें
1	जननी सुरक्षा योजना	1. घर में प्रसव होने पर केवल गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार 2. शासकीय संस्था में प्रसव होने पर सभी वर्गों को (बी.पी.एल.की बाध्यता नहीं) योजना का लाभ दिया जाता है।	1 घर में प्रसव पर बी.पी.एल. परिवार को रू 500/– प्रति हितग्राही 2 ग्रामीण हितग्राही को रू 1400/– प्रति हितग्राही एवं शहरी हितग्राही को रू 1000/– प्रति हितग्राही सहायता राशि प्रदाय की जाती है। प्रेरक महिला को ग्रामीण क्षेत्र में रू 350/– तथा शहरी क्षेत्र में रू 200/– का प्रावधान।	ए.एन.एम./आशा कार्यकर्ता/स्वास्थ्य संस्था प्रभारी
2	दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना	एक वित्तीय वर्ष में इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्गो के परिवार को शासकीय चिकित्सालय में भर्ती होने पर।	शासकीय अस्पातल में भर्ती होने पर जांच एंव उपचार हेतु राशि रू 30000/– प्रतिवर्ष प्रति परिवार तक उपलब्ध कराई जाती है।	सिविल सर्जन/ बी.एम.ओ.
3	परिवार कल्याण कार्यक्रम	इच्छुक दंपत्ति जिनके 2 या 2 से अधिक बच्चें है।	पुरूष नसबंदी (एन.एस.वी.) हेतु 1100/– एवं महिला नसबंदी (एल. टी.टी.) हेतु 600/– प्रति हितग्राही प्रदान की जाती है।	संस्था प्रभारी
4	राज्य बीमारी सहायता निधि	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के एक सदस्य को जीवन में एक बार चिन्हित 20 बीमारियों के लिए चिन्हित (राज्य एवं राज्य के बाहर) अस्पतालों में उपचार हेतु आर्थिक मदद।	जिला स्तर पर रू 100000/– तक निःशुल्क उपचार किया जाता है तथारू 100000/– से रू 200000/– तक की मदद संभागीय आयुक्त के अनुमोदन से।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन
5	बेटियों के पालकों का क्लब	एक एवं दो बेटियों के बाद नसबंदी	सम्मान पत्र देकर सम्मानित करना एवं समारोह में भोजन व्यवस्था।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	पात्र हितग्राही	दिया जाने वाला लाभ	किससे संपर्क करें
6	जननी एक्सप्रेस	प्रसव पीड़ित महिला, बीमार शिशु तथा दीनदयाल अंत्योदय की पात्रता रखने वाले व्यक्ति।	चिकित्सालय तक लाने एवं 48 घंटे के उपचार के बाद हितग्राही को घर तक छोड़ने के लिए वाहन का प्रावधान।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन/बी.एम.ओ.
7	मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना	जन्म से 15 वर्ष तक के गरीबी रेखा के नीचे या ऊपर के हितग्राही जो हृदय रोग से ग्रस्त हों।	पात्र बच्चों के हृदय रोग के चिन्हित बीमारियों के लिए निःशुल्क उपचार हेतु अधिकतम रू 100000/– तक की सहायता का प्रावधान है।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन/बी.एम.ओ.